//अनौपचारिक–टिप्पणी//

विषयः–स्पींकिग आदेश दिनांक 4.5.18 वेब–साईट पर अपलोड वास्ते।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के आदेश कमांक प06(16)चिस्वा/2/13 दिनांक 04.05.2018 की प्राप्त प्रति संलग्न में भिजवाई जा रही है, इसे विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अति0निदेशक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0
जयपुर।

प्रभारी सर्वर रूम,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

अनौ0टि0कमांक :–राजपत्रित/डीपीसी/2018/938
दिनांकः– 10.5.18

स्पींकिग आदेश

राजस्थान–सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प06(16)चिस्वा/2/13 दिनांक :- 4-5-2018

:: आदेश::

3548

डॉ0 सुरेन्द्र मेडतिया,चि.अ. को उनके द्वारा दायर अपील संख्या 299/2011 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2013 में "अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये कि वे निर्णय के 4 माह में अपीलार्थी के सम्बन्ध में रिव्यू डीपीसी वर्ष 1995–96 और उसके बाद के वर्षो के लिये आयोजित कर उसकी पदोन्नति हेतु विचार करें, और यदि वह योग्य पाया जावें, तो उसे पदोन्नति प्रदान करें, और इस पदोन्नति के परिणामस्वरूप मिलने वाले सभी पारिणामिक लाभ भी उसे प्रदान करें। यह भी आदेश दिये कि प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी को इस अपील का खर्चा रूपयें 5000/–अदा करें।" पारित निर्णय की पालना में निम्नांकित कियान्विति की गईः–

1. डॉ0 मेडतिया को कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद हेतु वर्ष 95–96 से 01–02 की रिक्तियों हेतु पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषओं का पुनरावलोकन दिनांक 19.9.13 को किया जाकर आदेश क्रमांक प06(91)चिस्वा/2/2013 दिनांक 01.10.13 के द्वारा कनिष्ठ बिशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर वर्ष 01–02 की रिक्ति के विरूद्व पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है।
2. डॉ0 मेडतिया को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक 412 दिनांक 01.05.14 द्वारा दिनांक 31.12.2008 से एसीपी स्वीकृत की गई थी, (जिसे निदेशालय के संशोधन आदेश क्रमांक 1583 दिनांक 4.11.16 द्वारा 31.12.2008 के स्थान पर 31.12.2007 से स्वीकृत की जा चुकी है)।
3. डॉ0 मेडतिया को आदेश क्रमांक प06(46)चिस्वा/2/2013 दिनांक 5.6.14 द्वारा डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर दिनांक 11.7.11 से पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है।
4. डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत आदेश क्रमांक प06(46)चिस्वा/2/2014 दिनांक 29.12.14 द्वारा प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर दिनांक 1.4.14 से पदोन्नति प्रदान की जा चुकी हैं (वित्त विभाग ने चिकित्सकों को ग्रेड पे 8700/–11.7.13 से स्वीकृत नही करके दिनांक 1.4.14 से स्वीकृत करने का परामर्श दिया गया अतः तदनुरूप पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है)।
5. माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 31.1.13 में पारित आदेशानुसार अपील का खर्चा रू0 5000/– के भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से पत्र क्रमांक प06(16)चिस्वा/2/2013 दिनांक 9.1.15 द्वारा जारी की गई, जिसका भुगतान चैक संख्या 921139 दिनांक 23.9.14 द्वारा डॉ0 मेडतिया को किया जा चुका है।
6. डॉ0 मेडतिया प्रमुख विशेषज्ञ सर्जरी को राजकीय जिला अस्पताल पावटा, जोधपुर द्वारा बिल नं0 07 दिनांक 13.04.2015 को पदोन्नति, एसीपी, डीएसीपी के कम में समस्त बकाया एरियर वर्ष 04.09.90 से 28.02.15 तक सकल राशि 6,85,078/–का भुगतान किया गया। तथा मार्च 2015 में डॉ0 मेडतिया प्रमुख विशेषज्ञ सर्जरी को वेतन श्रृखंला 37400–67000 ग्रेड पे 8700/–में वेतन का भुगतान किया गया ।

उक्त पारित निर्णय की पालना हेतु डॉ0 मेडतिया द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अवमानना संख्या 1/14 दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 15.5.15 में निम्नांनुसार निर्देश प्रदान किये गये:–

"दोनो पक्षों को सुना गया। प्रार्थी ने यह बताया कि उसे वर्ष 01–02 से पदोन्नति प्रदान कर दी गई है,किन्तु 31.12.2008 तक उसका वेतन काल्पनिक रूप से निर्धारित किया, जबकि इस अधिकरण के निर्णय दिनांक 31.1.13 के आदेशानुसार उसे वेतन का वास्तविक लाभ दिया जाना चाहियें था।

राजकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि नियमानुसार काल्पनिक वेतन निर्धारण का फायदा दिया जा सकता है।

दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया गया। हमारे दिनांक 31.1.13 के आदेशानुसार अपीलार्थी पदोन्नति के परिणामस्वरूप सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उसे वर्ष 01–02 से मय पदोन्नति के परिणामस्वरूप 31.12.2008 तक पदोन्नत पद का वास्तविक वेतन प्रदान किया जावें"

प्रकरण में स्थाई अधिवक्ता द्वारा दी गई राय अनुसार उक्त निर्णय के विरूद्व याचिका एस.बी.सिविल रिट संख्या 53/2016 राज्य सरकार बनाम डॉ0 सुरेन्द्र मेडतिया दायर की गई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 07.04.16 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज कर रूपये 50,000/– की कोस्ट लगाई जाने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व अपील दायर करने की राय दी गई। प्रकरण के संबंध में प्री–लिटिगेशन एवं विभाग द्वारा अपील अधिकरण के मामलो की मोनेटरिंग कमेटी दिनांक 25.5.16 के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग,वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग का मत अपील दायर किये जाने का रहा,लेकिन विधि विभाग का मत अपील दायर नही करने का रहा, अतः कमेटी के सदस्यों का मत भिन्न होने के कारण प्रकरण को अंतिम निर्णय हेतु विधि विभाग को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त अवमानना प्रकरण को माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 01.06.16 द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व कन्टेमप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अधीन अवमानना की कार्यवाही करने हेतु माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर पीठ को रेफरेन्स किया गया।

तद्उपरान्त प्रकरण में माननीय न्यायालय में अवमानना संख्या 505/16 डॉ0सुरेन्द्र मेडतिया बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर होने पर प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2016 की पालना कोस्ट राशि रूपये 50,000/– की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रांक प06(16)चिस्वा/2/2013 दिनांक 19.9.16 द्वारा जारी की गई।

प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 7.4.16 की पालना में डॉ0 मेडतिया को देय समस्त भुगतान/परिलाभ के प्रस्ताव सहायक लेखाधिकारी द्वितीय पावटा, जोधपुर द्वारा प्राप्त होने पर, परीक्षणोपरान्त डॉ0 मेडतिया को देय राशि रू0 2,60,385/– के भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक प06(16)चिस्वा/2/2013 दिनांक 21.10.16 द्वारा जारी कर दी गई।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.1.13 की पालना में डॉ0 मेडतिया को नियमानुसार की गई नियमित पदोन्नति/डीएसीपी/एसीपी के परिलाभों का भुगतान किये जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.4.16 की पालना में प्रशासनिक विभाग के पत्र दिनांक 11.11.2016 के अनुसार डॉ0 मेडतिया को किए गये निम्नानुसार पदोन्नति तिथि से वास्तविक लाभ एवं ब्याज राशि का भुगतान किया गया है:–

1. पत्रांक प.6(16)चिस्वा/2/2013 दिनांक 19.9.16 द्वारा कोस्ट राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी। — 50,000/–
2. पत्रांक प.6(16)चिस्वा/2/2013 दिनांक 21.10.16 द्वारा राशि रू0 के भुगतान की स्वीकृति जारी। जो निम्नानुसार है:– — 2,60,385/–

1)पदोन्नति का नकद लाभ दिनांक 1.4.2001 से 28.2.15 तक राशि रू0	1,41,179/–
2)20 वर्षीय एसीपी दिनांक 31.12.2007 से स्वीकृत होने पर राशि रू0	51,395/–
3)(डीपीसी पर ब्याज 01.04.2001से)9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से राशि रू0	33,382/–
(एसीपी 2007)पर ब्याज राशि रू0	34,429/–
	2,60,385/–

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,पावटा जोधपुर के पत्रांक 2332–37 दिनांक 30.7.16 के द्वारा ब्याज की गणना दिनांक 01.04.2001 से 31.07.2016 तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से अंकितानुसार डीपीसी एवं एसीपी पर ब्याज का भुगतान किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप अब कोई राशि नियमानुसार भुगतान योग्य शेष नहीं है।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.11.16 में निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया "This Court is satisfied that the order dated 7-4-16 has been complied with. Accordingly,both the contempt petitions are dismissed as infructuous. Notices are discharged.

However,the petitioner is aggrieved that the interest has been paid only uptil june, whereas, the payment was made in October and that as per his calculation some amount is still outstanding.

In case, the petitioner is still aggrieved for non-payment of some interest and if some amount is still due to him as per his calculation, he is at liberty to submit a representation to the said effect bringing out the said discrepancies within four weeks. In case,the said representation is filed within the stipulated period, the respondents shall consider the same and pass a speaking order in accordance with law within one month from the date of receipt of representation."

प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमानना संख्या 505/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2016 द्वारा उक्त याचिका खारीज कर, स्पींकिग आदेश पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। डॉ0 मेडतिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 01.12.16, 10.01.17, 13.01.17 के क्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 08.12.16, 06.01.17, 24.01.17 द्वारा उन्हें दी गई पदोन्नति एवं देय भुगतान के क्रम में सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

उक्त के पुनःप्रर्दशन के संबंध में दायर एस.बी.सि.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 117/2017 डॉ0 सुरेन्द्र मेडतिया बनाम श्री मुकेश शर्मा व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 की पालना किये जाने के लिये राज्य सरकार के पत्रांक प06(16)चिस्वा/2/2013 दिनांक 12.02.2018 द्वारा डॉ0 मेडतिया को देय बकाया राशि रूपये एक लाख चालिस हजार नो सौ चौबीस मात्र का भुगतान बजट मद 2210–01–001–00–32– डिकीटल मद से करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसका भुगतान डॉ0 मेडतिया को किया जा चुका है।

अपील संख्या 117/17 (अवमानना संख्या 53/16) डॉ0 सुरेन्द्र मेडतिया बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 अनुसार याचिकाकर्त्ता को दिनांक 7.3.18 से पहले उत्तरदायी नं0–2 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर के सम्मुख प्रस्तुत होकर पेंशन परिलाभों एवं ब्याज राशि में कोई विसंगति हो तो अवगत कराने एवं आगामी तारीख पेशी 20.03.18 तक निस्तारित करने के निर्देश दिये गये किन्तु वे उपस्थित नही हुवे। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.18 की पालना में डॉ0 मेडतिया को देय बकाया डीएसीपी ब्याज राशि रू0 67262/–(अक्षरे सडसठ हजार दो सो बासठ रू0) मात्र का भुगतान बजट मद 2210–01–001–00–32 डिक्रीटल मद से करने की प्रशासनिक स्वीकृति शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के पत्रांक प06(16)चिस्वा/2/2013 दिनांक 15.03.18 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 एवं 22.02.2018 की पालना में डॉ0 सुरेन्द्र मेडतिया,सेवा निवृत को देय समस्त परिलाभ मय ब्याज स्वीकृत किये एवं भुगतान किये गये है, तत्पश्चात् माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.03.18 की पालना में डॉ0 मेडतिया ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कार्यालय में उपस्थित हुवे एवं बकाया राशि पर चक्रवती ब्याज की मांग राशि रू0 148998/– का भुगतान करने का निवेदन किया के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को उनके पत्र दिनांक 14.3.18 अनुसार डॉ0 मेडतिया को 9 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज से बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान किया जा चुका है एवं अब कोई भुगतान शेष नही है। नियमों में सेवानिवृत्ति परिलाभ पर ही 9 प्रतिशत सामान्य दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है, वेतन भत्तों के बकाया राशि पर नही, किन्तु डॉ0 मेडतिया को माननीय न्यायालय की पालना में 9 प्रतिशत सामान्य ब्याज से बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान किया जा चुका है, जिसकी जानकारी राज्य सरकार के पत्रांक प06(16)चिस्वा/2/2013 दिनांक 13.04.18 द्वारा दी जा चुकी है।

फलस्वरूप अब कोई भुगतान देय नही होने के कारण स्पींकिग आदेश एतदद्वारा पारित करते हुऐ प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

आज्ञा से

उप शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर।
3. श्री के0एल0ठाकुर, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,राज0 जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जोधपुर एवं समन्वयक।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पावटा जोधपुर।
7. डॉ0 सुरेन्द्र मेडतिया,से.नि. प्रमुख विशेषज्ञ, कटला की बाडी, कटला बाजार, जोधपुर–342002.
8. उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0 जयपुर।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव